भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या– 06 / 2019–20

केस का प्रकार :– नामान्तरण अपील

श्री सुकुमार मण्डल, पिता– स्व0 गोपाल मण्डल .... अपीलकर्त्ता।

––––बनाम––––––

शाशंक शेखर मण्डल, पिता– स्व0 गौरांग मण्डल एवं 03 अन्य .... विपक्षी।

कमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गयी कारवाई
06.06.23	यह अपीलवाद श्री सुकुमार मण्डल, पिता– स्व0 गोपाल मण्डल, पता–मोहनपुर, थाना– बहरागोड़ा, जिला– पूर्वी सिंहभूम, वर्तमान पता– 18, टीर्चस कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर, जिला– पूर्वी सिंहभूम के द्वारा 01. शाशंक शेखर मण्डल, पिता– स्व0 गौरांग मण्डल, 02. नित्यानन्द मण्डल, 03. अरविन्द मण्डल, दोनों के पिता– स्व0 रामपदो मण्डल, सभी ग्राम– मोहनपुर, थाना– बहरागोड़ा, 04. अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा (झारखण्ड सरकार), जिला– पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकार बनाते हुए अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455 / R27 / 2017–18 में दिनांक– 23.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ वंशावली, संबंधित भूमि का खतियान की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति एवं Condonation Petition u/s 05 of Limitation Act दाखिल किया गया है। उक्त के आलोक में इस अपील वाद को प्रविष्टि की बिन्दु पर सूनवाई करते हुए अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल Condonation Petition को Allow करते हुए, इस अपील वाद को सूनवाई हेतु Admit किया गया। तदनुसार उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455 / R27 / 2017–18 का निम्न न्यायालय अभिलेख की मांग की गयी। साथ ही वाद में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा की ओर से भी कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के पत्रांक– 646, दिनांक– 07.09.2022 के माध्यम से नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455 / R27 / 2017–18 का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ जो अभिलेखबद्ध है। नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455 / R27 / 2017–18 का मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत नामान्तरण में अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा आदेश पारित किया गया हे कि आवेदक अर्थात इस अपील वाद के प्रतिवादी सं0– 01 ने आवेदित भूमि खतियानी रैयत वैछनान मण्डल के पोतो से Gift Deed No.- 207, दिनांक– 08.03.2017 के माध्यम से प्राप्त कर शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में है। प्रश्नगत भूमि CNT से बाहर है किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवेदक के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मौजा– केवाला, थाना नं0– 917, खाता नं0– 79, प्लॉट नं0– 14, रकवा– 34.5 डी0 भूमि का नामान्तरण शुद्धि–पत्र निर्गत किया गया। वाद की सूनवाई के दौरान वाद में निहित भूमि पर दखल–कब्जा के संबंध में अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से स्थल जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के पत्रांक– 111, दिनांक– 22.02.2023 के माध्यम से स्थल जाँच	

06.06.23

प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेखबद्ध है।

प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा– केवाला, थाना नं0– 917, खाता नं0– 79, प्लॉट नं0– 14, रकवा– 34.5 डी0 भूमि नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455/R27/2017–18, दिनांक– 23.08.2017 को अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है। पंजी–II Vol- III पृ0सं0– 82 पर दर्ज है। स्थानीय लोगों से पुछताछ में पता चला कि प्रश्नगत भूमि मौजा– केवाला, थाना नं0– 917, खाता नं0– 79, प्लॉट नं0– 14, रकवा– 34.5 डी0 भूमि पर पूर्व में शशांक शेखर मण्डल का एक छोटा सा फुस का घर था। वर्तमान में बांस का खम्भा गाड़ कर एलवेस्टर का छावनी तथा लगभग 6फीट × 6फीट का घर बनाया गया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से दिनांक– 23.05.2023 को Written Argument के साथ List of Document के रूप में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया गया :–

i. **Photocopy of the** खाता नं0– 51 का खतियान.
ii. **Photocopy of the** खाता नं0– 64 का खतियान.
iii. **Photocopy of the** खाता नं0– 79 का खतियान.
iv. **Photocopy of the** वंशावली.
v. **Photocopy of the Original Title Suit No.- 41 of 2019.**

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूना तथा अभिलेखबद्ध कागजातो का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455/R27/2017–18 में दिनांक– 23.08.2017 को पारित आदेश नामान्तरण नियमावली के अनुरूप है। प्रश्नगत मामले में वर्तमान अपीलकर्त्ता की ओर से वर्तमान द्वितीय पक्षगण को पक्षकार बनाते हुए Civil Judge, Junior Division-1 at Ghatshila **के न्यायालय में** Declaration of Title, Confirmation of possession and in alternative recovery of possession and for setting aside the deed of gift bearing deed no.- 207, dt- 08.03.2017 and injuction ds fufer Original Title Suit No.- 41/2019 दायर किया गया है।

निष्कर्ष :– उभय पक्ष के विद्वान अधिकाक्ता को सूनने तथा निम्न न्यायालय अभिलेख सहित अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455/R27/2017–18 में दिनांक– 23.08.2017 को अचंल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा पारित आदेश नामान्तरण नियमावली के अनुकूल है।

अतः नामान्तरण मुकदमा संख्या– 455/R27/2017–18 में अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा दिनांक– 23.08.2023 को पारित आदेश को बरकार रखते हुए, इस अपील आवेदन को खारिज (Reject) किया जाता है। यह आदेश Original Title Suit No.- 41/2019 में पारित आदेश से प्रभावित होगी। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख अचंल अधिकारी, बहरागोड़ा को लौटा दें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2025.03.20 14:04:18 +05:30
Location: 192.168.1.33

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।

Issued c/c of last order vide 196 4/92 dt 13/7/23 [signature]